पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण,
बी–14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016

17 नवंबर 2017

जनसूचना

(जनसाधारण के आर्थिक तथा सामाजिक हित विरोधी तत्वों के छलयुक्त क्रियाकलापों के विरुद्ध– पीएफआरडीए/एनपीएस के नाम पर धोखा तथा जालसाज़ी)

यह सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ व्यक्ति आम जनता से एनपीएस/पीएफआरडीए के अंतर्गत आने वाले निधि के भुगतान के वादे के साथ अधिक धनराशि की मांग कर रहें हैं। हमें यह सूचना भी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों द्वारा, ऐसे दावों पर वास्तव में विश्वास करते हुए ऐसे तत्वों को बड़ी धनराशि (लगभग रुपये 29,999/–) का भुगतान किया जा रहा है । आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि, पीएफआरडीए एक विनियामक निकाय है तथा इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष को उसके स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) जो कि केंद्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी द्वारा अनुरक्षित हैं, से निधि प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार कि धनराशि की मांग करते हुए कॉल नहीं किया जाता। यह भी सूचित किया जाता है कि पीएफआरडीए द्वारा संस्थाओं कि नियुक्ति की गई है जैसे उपस्थिति अस्तित्व (PoP), संकलनकर्त्ता (Aggregator) आदि जो कि बैंक तथा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं जिन्हे निर्धारित शुल्कों के साथ अभिदाताओं से संप्रेषण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है जो कि जालसाज़ों द्वारा मांगी गई राशि की तुलना में काफी कम है।

कृपया सावधान रहें, पीएफआरडीए अधिक शुल्क के भुगतान /प्रभार हेतु कभी कोई ई–मेल/संदेश नहीं भेजता। इस प्रकार का संप्रेषण आपको धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है। शीघ पुलिस को जानकारी दें।

यदि किसी मामले में कोई व्यक्ति/संस्था आपको पीएफआरडीए/एनपीएस के द्वारा अधिक राशि देने के वादे के साथ कॉल करे तो आपको सलाह दी जाती है कि:

i) किसी भी कॉलकर्त्ता/ई–मेल/पत्र जो कि पीएफआरडीए/एनपीएस द्वारा निधि प्रदान करने का वादा करता हो, पर विश्वास न करें।

ii) किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति/संस्था को किसी प्रकार की राशि का भुगतान न करें।

iii) कॉलकर्त्ता/ई–मेल की पहचान की जांच करें।

iv) कॉलकर्त्ता के नाम, टेलिफोन नंबर, ई–मेल आईडी तथा पते आदि की जानकारी देते हुए स्थानीय पुलिस को शीघ सूचना दें।

जनहित में ज़ारी।

राकेश शर्मा
मुख्य महाप्रबंधक
पीएफआरडीए के लिए तथा उसकी ओर से